

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

: श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०

: 98/2023

: 2023/214

श्रीन अधिकारी
राजस्व वाद संख्या
GCMS No.

-: वादी :-

बनाम

-: प्रतिवादी :-

1. तहसीलदार, जैतारण

1. भूरीदेवी पत्नि सुरेश कुमार

कौम-माली

लेण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर।

2. समुड़ी पत्नी जयराम कौम-माली

निवासी-निम्बोल तहसील-जैतारण

जिला-ब्यावर।

राजस्व वाद बाबत बेदखली अन्तर्गत

धारा 177 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय व डिक्री दिनांक : 29.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व

हाजरी सरकार राज पैरोकार, तहसीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादी, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा, 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं होंगे एवं सारहीन होंगे से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर

.....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/01/2025 को जारी किया गया ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला- ब्यावर)
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)



मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा	01-	००
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान:-			मिजान:-	01-	००

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।